न्यायालय सहायक कलक्टर (शहर) ,बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार (आरएएस)

सी.सी.एम.एस. नं.:– 2025/275

1. मंगीलाल पुत्र तुलछाराम
2. नारायणी पत्नी तुलछाराम

जाति मेघवाल निवासी ग्राम मुण्डसर, बीकानेर

–प्रार्थी–

–बनाम–

1. धुड़ी पुत्री कालूराम पत्नी धर्माराम पत्नी धर्माराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बैरासर तहसील नोखा, जिला बीकानेर।
2. चेतनराम पुत्र शेराराम
3. सहीराम पुत्र शेराराम
4. राकेश पुत्र शेराराम
5. तोलाराम पुत्र शेराराम
6. रेवती पत्नी शेराराम
7. सोहनलाल पुत्र स्व. फूसाराम
8. जीवणराम पुत्र स्व. फूसाराम
9. बुधाराम पुत्र स्व. फूसाराम
10. कमला पुत्र स्व. फूसाराम
11. धापू पुत्र स्व. फूसाराम
12. पाना पुत्र स्व. फूसाराम
13. भंवरी पुत्र स्व. फूसाराम
14. भरमती पुत्र स्व. फूसाराम
15. सीता पुत्र स्व. फूसाराम
16. गंगा पुत्र स्व. फूसाराम

(क्रमांक 2 से 16) जाति मेघवाल निवासी ग्राम मुण्डसर, बीकानेर।

17. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

–अप्रार्थीगण–

प्रा॰व॰ अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अभिभाषक उपस्थितिः–
1 श्री सत्यनारायण तिवाड़ी (प्रार्थी की ओर से)
2 श्री घनश्याम जनागल (अप्रार्थी संख्या 1की ओर से)
3 श्री बहादुरराम सुथार (अप्रार्थी संख्या 2 ता 16 की ओर से)

–:निर्णयः–

दिनांकः– 07/10/25

सहायक कलक्टर

1. प्रकरण के वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित कृषि भूमि ग्राम मूण्डसर के खसरा नंबर 398 तादादी 4.7400 हैक्टयर, खसरा नंबर 408 तादादी 5.73 हैक्टयर, खसरा नंबर 921 तादादी 9.5400 हैक्टयर कुल तादादी 19.9800 हैक्टयर स्थित है। वादगत भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज भोमाराम जी की रही है। जिसकी वंशावली निम्न तरह से दर्शायी गयी है–

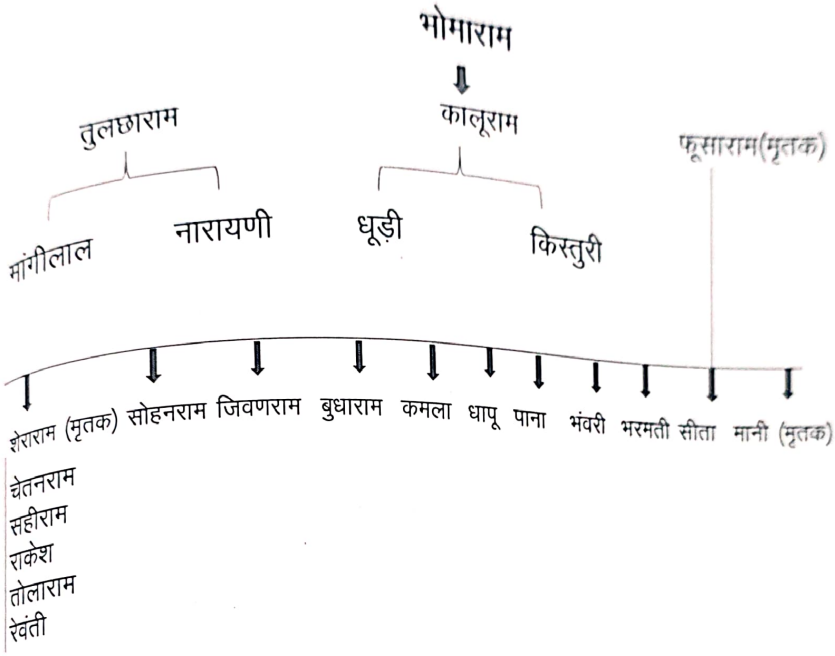

वादगत भूमि पर भोमाराम जी के स्वर्गवास के बाद उनके तीनों वारिसान क्रमशः तुलछाराम, कालूराम, फूसाराम है, में वादगत भूमि बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 निहित हुई व उसी अनुरूप उनका कब्जा काश्त रहा। तुलछाराम जी के स्वर्गवास के बाद उनका हिस्सा प्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 में निहित हुआ एवं फूसाराम जी के स्वर्गवास के बाद उनका 1/3 हक व हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 ता 16 में निहित हुआ। जिनका राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में अंकन चल रहा है। खातेदार कालूराम के स्वर्गवास के समय उनकी एकमात्र वारिसान उनकी पत्नी किस्तुरी थी जिसका राजस्व रिकॉर्ड में किस्तुरी पत्नी स्व. कालूराम हिस्सा 1/3 अंकित है। लेकिन उपरोक्त भूमि किस्तूरी द्वारा कभी काश्त

करसकर

नहीं की गयी। कालूराम जी के स्वर्गवास के बाद किरतुरी अपने पीहर जसरासर चली गयी, लगभग 50 वर्षों से उनका निवास स्थान जसरासर ही रहा। कालूराम के स्वर्गवास के बाद ही किरतूरी ने अप्रार्थी संख्या 01 धुड़ी को जन्म दिया। किरतुरी का स्वर्गवास सन् 2021 में हो गया। उनके स्वर्गवास के बाद उनके तमाम रितिरिवाज के कार्य प्रार्थीगण द्वारा ही किये गये। उक्त भूमि के चारों तरफ तारबंदी कर रखी है मौके पर पक्की ढाणी, ट्यूबवैल बनाया हुआ है। दिनांक 10.06.2025 को प्रार्थीगण अपने द्वारा काश्त भूमि की देखरेख कर रहे थे, तब अप्रार्थी संख्या 01 के साथ अन्य स्वर्ण जाति के साथ मौके पर आये और प्रार्थीगण को धमकी दी की वह इस भूमि को खाली कर दे क्योंकि इस भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 धुड़ी देवी द्वारा हम लोगों को विक्रय करने की बातचीत चल रही है जब वादी ने एतराज किया तो उनके द्वारा प्रार्थीगण को धमकी दी गयी है कि वे जबरिया प्रार्थीगण के खेत पर कब्जा कर लेंगे। प्रार्थी मुतनाजा भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा प्रार्थीगण को उनके कब्जे की भूमि से बेदखल किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को कारित होगी अतः वादगत भूमि ग्राम मूण्डसर, बीकानेर के खसरा नंबर 398 तादादी 4.7400 हैक्टयर, खसरा नंबर 408 तादादी 5.73 हैक्टयर, खसरा नंबर 921 तादादी 9.5400 हैक्टयर कुल तादादी 19.9800 हैक्टयर पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। दिनांक 11.06.2025 को प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर कृषि भूमि वाके ग्राम मूण्डसर के खसरा नंबर 398 तादादी 4.7400 हैक्टयर, खसरा नंबर 408 तादादी 5.73 हैक्टयर, खसरा नंबर 921 तादादी 9.5400 हैक्टयर कुल तादादी 19.9800 हैक्टयर पर मौका व रिकॉर्ड की

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

यथास्थिति नियत रखने बाबत न्यायालय द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

3. अप्रार्थी संख्या 2 ता 16 की ओर से जरिये अभिभाषक श्री बहादुर सुथार द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया, जिसमें प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण 212 आरटीए के तथ्यों को स्वीकार करते हुए कथन किया गया कि प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 16 की भूमि बाबत भी प्रतिवादी संख्या 1 व उनके साथ आए अजनबी व्यक्ति कब्जा खाली किए जाने बाबत धमकी दे रहे थे, जिन्हें चिरस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है।

4. **इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 01 धुड़ी देवी द्वारा जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम जनागल जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया** जिसमें कथन किया गया कि वादगत भूमि अप्रार्थी संख्या 01 की माता किस्तुरी देवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उससे पूर्व किस्तूरी देवी के पति कालूराम के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। कालूराम की मृत्यु के पश्चात किस्तुरी देवी एक मात्र कालूराम की वारिस होने के कारण किस्तूरी देवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके जायज वारिसान में अप्रार्थी संख्या 01 एक मात्र वारिस होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 वादगत जायदाद में बतौर खातेदार नाम अंकित करवाने की अधिकारिणी है। प्रार्थीगण अप्रार्थीनी संख्या 01 के हिस्से को हड़प्प करने की गरज से उक्त झूठा दावा व चिरस्थायी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है तथा स्थगन की आड़ में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण संख्या 01 के हक व हिस्से की वादगत कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द कर बेदखल करना चाहते हैं तथा अप्रार्थीनी संख्या 01 ने राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का नामान्तरण दर्ज करने हेतु कार्यवाही भी कर रखी है परन्तु प्रार्थीगण, नामांतरण की कार्यवाही को रूकवाना

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 01 की हद तक खारिज फरमाया जावे।

5. उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जिसमें कथन किया गया कि विवादित कृषि भूमि ग्राम मूण्डसर, बीकानेर के खसरा नंबर 398 तादादी 4.7400 हैक्टयर, खसरा नंबर 408 तादादी 5.73 हैक्टयर, खसरा नंबर 921 तादादी 9.5400 हैक्टयर कुल तादादी 19.9800 हैक्टयर में वादीगण/प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा, मृतक किस्तूरी का 1/3 हिस्सा जो अप्रार्थी संख्या 01 की मां है एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 16 का 1/3 हिस्सा अंकित रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 की माता स्वर्गीय किस्तुरी के पति कालूराम के स्वर्गवास के बाद अपने पीहर में निवास करती रही थी। अप्रार्थी संख्या 01 का जन्म उसके पिता कालूराम के स्वर्गवास के बाद हुआ। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 की माता व अप्राथी संख्या 01 कभी भी पिछले 50 वर्षों में वादगत भूमि पर नहीं आए और ना ही इनका कब्जा रहा है। सम्पूर्ण वादगत भूमि पर पिछले 50 वर्षों से प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण 2 ता 16 सम्पूर्ण वादगत भूमि को काश्त कर रखी है तथा फसले खड़ी है। वादीगण ने वादगत भूमि के चारों तरफ तारबंदी की हुई है तथा पक्की ढाणी, टयूबवैल बनाया हुआ है, वादगत भूमि पर वादीगण/प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 16 का शांतिपूर्वक बहैसियत खातेदार कब्जा चला आ रहा है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न दृष्टांत *RBJ 2007 P 573 (HC), RRD 1987 P 330 'B'* पेश किया गया। अतः वादपत्र के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा यथावत कायम रखी जावे।

6. इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 श्री घनश्यात जनागल द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जिसमें कथन किया गया कि वादगत भूमि

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

स्व. भोमाराम जी के नाम रही है, भोमाराम जी के स्वर्गवास के बाद उनके तीनों वारिसान तुलछाराम, कालूराम व फूसाराम के में उपरोक्त भूमि बहिस्सा बराबर 1/3-1/3 निहित हुई व उसी अनुक्रम उनका कब्जा काश्त रहा। तुलछाराम के स्वर्गवास के बाद उनका हिस्सा प्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 में निहित हुआ एवं फूसाराम के स्वर्गवास के बाद उनका 1/3 हक व हिस्सा निहित हुआ। जिनका राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार अंकन है। खातेदार कालूराम का स्वर्गवास हो चुका है, कालूराम जी के स्वर्गवास के पश्चात उनकी वारिसान उनकी पत्नी किस्तुरी व बेटी धुड़ी हुई तथा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किस्तुरी के नाम 1/3 हिस्से के रूप से हुआ। किस्तुरी का स्वर्गवास 2021 में हो जाने पश्चात किस्तुरी की पुत्री धुड़ी ने विरासतन नामान्तरण संख्या 2837 दिनांक 04.06.2025 विरासतन किस्तुरी पत्नी स्व, कालूराम के स्थान पर धूड़ी पुत्री कालूराम का नामान्तरण प्रक्रियाधीन है। सही स्थिति यह कि अप्रार्थी संख्या 1 का बाई बर्थ वादगत भूमि पर हक व हिस्सा है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थी संख्या 01 को सतत रूप से प्राप्त है। प्रार्थीगण अप्रार्थीनी संख्या 01 के हिस्से को हड़प्प करने की गरज से उक्त झूठा दावा व चिरस्थायी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है तथा स्थगन की आड़ में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण संख्या 01 के हक व हिस्से की वादगत कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द कर बेदखल करना चाहते हैं तथा अप्रार्थीनी संख्या 01 ने राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का नामान्तरण दर्ज करने हेतु कार्यवाही भी कर रखी है परन्तु प्रार्थीगण, नामांतरण की कार्यवाही को रूकवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

7. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के संदर्भ में तीन बिंदु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर विचार किया जाना है।

8. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखिय स्थिति यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र 212 आरटीए से संबंधित वाद पत्र धारा 188, आरटीए के अंतर्गत चिरस्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया है। वर्णित वादगत भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 ता 16 तथा अप्रार्थी संख्या 01 धुड़ी देवी की माता किस्तूरी देवी पत्नी स्व. कालूराम संयुक्त खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा किस्तूरी देवी पत्नी स्व. कालूराम के फौत होने पश्चात वादगत भूमि पर धुड़ी देवी का नामांतरणकरण प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 ता 16 ग्राम मूण्डसर, बीकानेर के खसरा नंबर 398 तादादी 4.7400 हैक्टयर, खसरा नंबर 408 तादादी 5.73 हैक्टयर, खसरा नंबर 921 तादादी 9.5400 हैक्टयर कुल तादादी 19.9800 हैक्टयर भूमि में अपने हक व हिस्से अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार है परंतु इसके साथ ही वादगत भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 की माता किस्तुरी पत्नी स्व. कालूराम 1/3 हिस्से की रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज रही है तथा किस्तूरी देवी के फौत होने पश्चात उनके वारिसान में अप्रार्थी संख्या 01 का हिस्सा निहित होना स्पष्टतः प्रतीत होता है। जहां तक वादगत भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 व माता किस्तूरी पत्नी कालूराम कब्जा संबंधी विवाद्यक का प्रश्न है तो विधि की स्थिति सुस्पष्ट है कि संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का ईंच-ईंच भूमि पर कब्जा माना जाता है व एक-सहखातेदार, दूसरे सह-खातेदार के विरुद्ध कब्जे का अधिमान नहीं प्राप्त कर सकता है। अप्रार्थी संख्या 01 को उसकी माता के नाम दर्ज भूमि के बतौर विरासतन उपभोग से रोका जाना न्यायोचित नहीं है।

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

9. ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में साबित होते है तथा इसी अनुरूप वादगत भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 के 1/3 हक व हिस्से पर अस्थायी निषेधाज्ञा को जारी रखे जाने से अप्रार्थी संख्या 01 को अपूरणीय क्षति कारित होना स्पष्टतः प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 212 पर निस्तारित किए जाने वाले तीनों मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र 212 आरटीए प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।आदेश आज दिनांक 07/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(रणजीत कुमार)
आरएएस
सहायक कलेक्टर
बीकानेर शहर

सहायक कलेक्टर
बीकानेर शहर